FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प जैतीवास

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
श्रीमती मोरकी		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–170/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.11.2021	प्रार्थी श्रीमती मोरकी पत्नी राणाराम जाति राईका निवासी जैतीवास तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प जैतीवास** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 986/8 रकबा 0.0890 हैक्टेयर खातेदारी भूमि वादी की आयी हुयी है। पूर्व में उपरोक्त भूमि शम्भूसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी जैतीवास की थी। खातेदार शम्भूसिंह से वादी श्रीमती मोरकी ने दिनांक 31.07.2007 को उक्त भूमि को खरीद कर लिया जब बैचाननामा दिनांक 31.07.2007 को निष्पादित कराया गया तब वादी ने भूलवश अपना नाम मोरकी के बजाय ढगली देवी लिखवा दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम मोरकी देवी है वादी के सारे सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचानपत्र, जनआधारकार्ड, राशनकार्ड आदि मे श्रीमती मोरकी पत्नी राणाराम दर्ज है वादी अपनी भूमि पर सरकारी सहायता प्राप्त करना चाहती है लेकिन बैचान दस्तावेज में वादी का नाम गलत लिखा होने के कारण सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रही है इस कारण वादी को यह दावा पेश करना पड़ रहा है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त खातेदारी भूमि में ढगली देवी पत्नी राणाराम के स्थान पर श्रीमती मोरकी पत्नी राणाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी श्रीमती मोरकी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी श्रीमती मोरकी का आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनआधारकार्ड, पहचान पत्र, बैचाननामा शम्भुसिंह बहक ढगलीदेवी दिनांक 31.07.2007, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 986/8 (खाता संख्या नया 171) आदि को पेश किये है। तथा वादी के समर्थन में बयान गवा[illegible]ह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी जै[illegible] 2 शम्भुसिंह पुत्र सवाईसिंह ने वादी के पक्ष [illegible]नामा निष्पादित कराया है, खातेदार शम्भुसिंह ने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्व रेकर्ड में ढगली देवी के स्थान पर श्रीमती मोरकी का नाम दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है। कार्यालय ग्राम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:05 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत जैतीवास द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा से

उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में ढगलीदेवी गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रही हूं।
पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम श्रीमती मोरकी के बजाय ढगलीदेवी दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 986/8 रकबा 0.0890 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में ढगली देवी पत्नी राणाराम के स्थान पर मोरकी पत्नी राणाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम जैतीवास में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:05 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मय [illegible] इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कै[illegible] जैतीवास

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
श्रीमती मोरकी पत्नी राणाराम जाति राईका निवासी जैतीवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 170/2021

निर्णय **दिनांक** :– 24.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"। होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 986/8 रकबा 0.0890 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में ढगली देवी पत्नी राणाराम के स्थान पर मोरकी पत्नी राणाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:05 IST
Reason: SelfAttested